Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

मई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- उर्दू अकादमी द्वारा रचनाकारों की कृतियों पर पुरस्कारों की घोषणा की 3
- 'पद्म' विजेताओं व अन्य विभूतियों के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल 4
- संस्कृति विभाग द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत गीत लेखन प्रतियोगिता के विजेता घोषित किये 5
- मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना 5
- शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर को मिला ए-ग्रेड 6
- मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स कार्यक्रम का शुभारंभ 7
- मुख्यमंत्री निवास पर मनाया गया लाड़ली लक्ष्मी उत्सव 7
- नगरीय विकास विभाग को मिले 3 स्कॉच अवार्ड 8
- श्री रामचद्र पथ-गमन न्यास 9
- मुख्यमंत्री अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 9
- हिन्दी फीचर फिल्म 'द केरला स्टोरी 'मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री 10
- मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण 10
- सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ 11
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक 11
- प्रदूषण से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के अध्ययन के लिये एम्स, भोपाल और एमपी पीसीबी में करार 12
- हिन्दी में लिखित चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों का विमोचन 13
- भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता लेगा मध्य प्रदेश बीज संघ 14
- मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत 14
- मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन 15
- मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत 15
- मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन 16
- मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत 16
- मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन 16
- मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत 17
- मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन 17
- गौ-रक्षा संकल्प सम्मेलन 18
- 'एक सप्ताह-एक प्रयोगशाला 'कार्यक्रम का शुभारंभ 19
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद के निर्णय 20
- चौथे 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' में जल संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में मध्य प्रदेश को 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' का पुरस्कार 21
- कैबिनेट ने युवाओं के लिये 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' को दी मंज़ूरी 21
- एम.पी. ट्रांसको ने हासिल की उत्कृष्ट उपलब्धि 22
- सभी ग्रामों में बनेंगी लाड़ली बहना सेनाएँ 23
- मुख्यमंत्री ने पन्ना गौरव दिवस पर 'जुगल किशोर सरकार लोक 'बनाने की घोषणा की 24
- एच.एम.आई. तकनीक से ऊर्जीकृत हुआ प्रदेश में पहला 220 के.व्ही. स्तर का पॉवर ट्रांसफार्मर 25
- भोपाल में स्थापित होगा महाराणा प्रताप लोक 25
- थाईलैंड में खरगौन की बेटियों ने एशियन कैनो स्लैलम में जीते चार पदक 26
- अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला 26
- बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार 27
- पशुपालन मंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गो-पालकों को किया पुरस्कृत 28
- नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को मिले 3 स्कॉच अवार्ड 28
- पर्यटन नगरी खजुराहो में जल प्रदाय का प्रायोगिक परीक्षण प्रारंभ 29
- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में नॉलेज हब का शुभारंभ 30
- राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन 30

नोट :

मध्य प्रदेश

उर्दू अकादमी द्वारा रचनाकारों की कृतियों पर पुरस्कारों की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2023 को संस्कृति विभाग की मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने वर्ष 2021 एवं 2022 में प्रकाशित पुस्तकों पर 6 अखिल भारतीय पुरस्कार और 12 प्रादेशिक पुरुस्कारों की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- घोषित किये गए पुरस्कार इस प्रकार हैं-

अखिल भारतीय पुरस्कार		
पुरस्कार	रचनाकार	रचनाएँ
मीर तकी मीर पुरस्कार	डॉ. शफी हिदायत कुरैशी, दतिया	इंचिसात फिक्र
हकीम कमरूल हसन पुरस्कार	आरिफ अज़ीज़, भोपाल	जाविया-ए-निगाह
हामिद सईद खाँ पुरस्कार	रशंदा मेहदी, दिल्ली	मानसून स्टोर
शादाँ इंदौरी पुरस्कार	बद्र वास्ती, भोपाल	नाच गान
जौहर कुरैशी पुरस्कार	रेणु बहल, दिल्ली	जहान-ए-आरज़ू
इब्राहीम यूसुफ पुरस्कार	रिजवान-उल-हक, दिल्ली	खुदकुशी नामा
प्रादेशिक पुरस्कार		
सिराज मीर खाँ सहर पुरस्कार	शऊर आशना, बुरहानपुर	इंतेज़ार और कब तक
बासित भोपाली पुरस्कार	डॉ. आजम, भोपाल	दर्द का चाँद बुझ गया
मो. अली ताज पुरस्कार	अशोक मिजाज बद्र, सागर	मैं इकाई हूँ मैं समाज हूँ
नवाब सिद्दीकी हसन खाँ पुरस्कार	रशीद अंजुम, भोपाल	आवाज की दुनिया का दोस्त अमीन सयानी
शैरी भोपाली पुरस्कार	रफीक रवानी, रीवा	कुछ शेर कुछ कुतआत कुछ गज़लें
कैफ भोपाली पुरस्कार (उर्दू शिक्षक)	रूशदा जमील, भोपाल	
शंभू दयाल सुखन पुरस्कार	महेंद्र अग्रवाल, शिवपुरी	रूबरू
शिफा ग्वालियरी पुरस्कार	डॉ. वासिफ खान यार, बुरहानपुर	मिट्टी डाल पर
जाँ निसार अख्तर पुरस्कार	प्रो. आफाक हुसैन सिद्दीकी, भोपाल	उर्दू शायरी में शख्सी मर्सिये
पन्नालाल नूर श्रीवास्तव पुरस्कार	रियाज आलम मोहम्मदी, जबलपुर	तजल्लियाते बज़्मे सना
सूरज कला सहाय पुरस्कार	खालिदा सिद्दीकी, भोपाल	गुलाबी शाम के साए
निदा फाज़ली पुरस्कार	जमील अहमद जमील, जबलपुर	ड 'रुबाबे फिक्र

नोट :

- अखिल भारतीय पुरस्कार के रूप में 51 हज़ार रुपए एवं 12 प्रादेशिक पुरस्कार में 31 हज़ार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। यह सभी सम्मान एक राज्यस्तरीय अलंकरण समारोह में दिये जाएंगे।

'पद्म' विजेताओं व अन्य विभूतियों के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल

चर्चा में क्यों ?

30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड प्रसारण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, प्रदेश के पद्म पुरस्कार से सम्मानित और मन की बात में उल्लेखित विभूतियों एवं आमंत्रित गणमान्य अतिथियों के साथ राजभवन में शामिल हुए। मन की बात कार्यक्रम का विशेष आयोजन राजभवन के विशाल सभागार सांदीपनि में किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मन की बात कार्यक्रम के बाद राजभवन आए प्रदेश के पद्म पुरस्कार से सम्मानितों को स्मृति-चिह्न भेंट किये। पद्म पुरस्कार से सम्मानित विजय दत्त श्रीधर, डॉ. जनक पलटा, शांति परमार, रमेश परमार, भूरी बाई और कैलाश मड़बैया शामिल थे।
- वहीं राज्यपाल ने मन की बात में मध्य प्रदेश के उल्लेखित प्रसंगों से संबद्ध विभूतियों को कार्यक्रम के बाद राजभवन में स्मृति-चिह्न प्रदान किये। इनमें ममता शर्मा, सुभाष जिलोदिया, मास्टर तुषार, आशाराम चौधरी, उषा दुबे, अतुल पाटीदार, बबीता राजपूत, राम लोटन कुशवाह, अर्जुन सिंह, रोहित सिसोदिया, रजनीश, फील्ड डायरेक्टर पेंच टाइगर रिज़र्व, ज्ञानेंद्र पुरोहित, मोनिका पुरोहित, गीता, प्रशांत धावले, भावना डहेरिया, और मंजू मंडलोई शामिल रहे।
- राज्यपाल ने कार्यक्रम के बाद सांदीपनि सभागार में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी आज़ादी के अमृत महोत्सव, नया भारत बदलता भारत तथा प्रधानमंत्री की मन की बात में मध्य प्रदेश के उल्लेखित प्रसंगों की विभूतियों की उपलब्धियों पर केंद्रित है।
- उल्लेखनीय है कि मन की बात कार्यक्रम का प्रथम एपिसोड का प्रसारण 3 अक्टूबर, 2014 को हुआ था।

नोट :

संस्कृति विभाग द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत गीत लेखन प्रतियोगिता के विजेता घोषित किये

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत आठ विभिन्न बोलियों में गीत लेखन और सांगीतिक रचना के विजेता घोषित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- हिन्दी के लिये ग्वालियर के बृजेश सिंह यादव को प्रथम, विदिशा के राहुल विश्वकर्मा को द्वितीय और सिंगरौली के अशोक पांडे को तृतीय विजेता चयनित किया गया है।
- वहीं बुंदेली बोली के लिये नरसिंहपुर के सुमित दुबे को प्रथम श्योपुर के गिर्राज पालीवाल को द्वितीय और जबलपुर के निरंजन सिंह/प्रदीप सोनी को तृतीय स्थान पर चयनित किया गया है।
- प्रतियोगिता में इसी तरह निमाड़ी बोली के लिये खरगोन के अंकुर जोशी को प्रथम, महेश्वर के हरीश दुबे को द्वितीय और खरगोन के यशवंत यादव को तृतीय स्थान के लिये चयनित किया गया है।
- मालवी बोली के लिये उज्जैन के पं. हरी हरेश्वर पोद्दार को प्रथम, उज्जैन की डॉ. तृप्ति नागर को द्वितीय और नरसिंहगढ़ के महेश राव को तृतीय स्थान पर चयनित किया गया है।
- कोरकू बोली में कोई प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई। वहीं बघेली, भदावरी, भीली और गोंडी बोली में प्राप्त गीत और ऑडियो क्लिप में किसी भी प्रतिभागी को पुरस्कार योग्य नहीं पाया गया।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन की लाड़ली बहना योजना पर आधारित हिन्दी सहित प्रदेश की 8 विभिन्न बोलियों बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मालवी, भदावरी, भीली, गोंडी और कोरकू में गीत लेखन एवं साहित्यिक रचना में प्रतिभागियों से रचनाएँ आमंत्रित की गई थीं।

मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2023 को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में राज्य मुक्त विद्यालयीन शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में राज्य स्तरीय आकलन केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कक्षा 5वीं से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिये मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार की घोषणा कर योजना की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना अंतर्गत कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट नवाचारों के लिये प्रथम पुरस्कार स्वरूप 51 हज़ार रुपए, द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 31 हज़ार रुपए, तृतीय पुरस्कार स्वरूप 21 हज़ार रुपए एवं सांत्वना पुरस्कार स्वरूप 11 हज़ार रुपए (प्रत्येक संभाग के लिये कुल दस पुरस्कार) दिये जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त बच्चों के मेंटर (शिक्षक) को बच्चों के पुरस्कार की 20% राशि पुरस्कार स्वरूप अलग से दी जाएगी।
- नवाचार जमा करने संबंधी प्रक्रिया एवं आवश्यक जानकारी साझा करने के लिये ईएफए स्कूल को नोडल सेंटर बनाया गया है। छात्र अकेले अथवा समूह में अपने नवाचार जमा कर सकते हैं। नवाचार जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 है एवं इसका परिणाम 10 अगस्त 2023 को जारी किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बच्चों में उनकी वैज्ञानिक सोच, कल्पना शक्ति एवं रचनात्मकता को व्यवहारिक रूप देने के लिये प्रदेश में पहली बार यह पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। यह योजना बच्चों के नवाचार को अवसर और मंच प्रदान करेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बच्चों के समग्र मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न-पत्र निर्धारण पद्धति को बेहतर बनाने के लिये राज्य स्तरीय आकलन केंद्र बनाया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को प्रश्न-पत्र बनाने के लिये प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षक बच्चों के लिये ऐसे प्रश्न-पत्र तैयार करें जिनसे बच्चों में शिक्षा को लेकर जिज्ञासा एवं उत्साह का भाव जागृत हो एवं उनका वास्तविक मूल्यांकन हो सके।

नोट :

- परीक्षा के प्रश्न-पत्र 3 स्तर से गुज़रते हैं- मापन, आकलन एवं मूल्यांकन। इन तीनों विधाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र की स्थापना में 68 लाख रुपए का अनावर्ती व्यय हुआ है।

शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर को मिला ए-ग्रेड

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2023 के मध्य प्रदेश के सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्) मूल्यांकन में 3.12 सीजीपीए के साथ आगामी 5 वर्षों के लिये 'ए'ग्रेड प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि नेक द्वारा 7 बिंदुओं पर महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय को केरीकूलर एस्पेक्ट्स में 3.55, टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्यूएशन में 3.03, रिसर्च इनोवेशंस एंड एक्सटेंशन में 1.86, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिर्सोसेस में 3.4, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में 3.5, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मेनेजमेंट में 2.89 तथा इंस्टीट्यूशनल वेल्यूस एंड बेस्ट प्रेक्टिसेस में 3.8 औसत ग्रेड प्वाइंट प्राप्त हुए हैं।
- विदित है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) संस्था की 'गुणवत्ता स्थिति' की समझ प्राप्त करने के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) जैसे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन आयोजित करती है।

नोट :

मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2023 को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरूण शमी ने मंत्रालय में एक समारोह में मिशन अंकुर के अगले चरण में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 'मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स' कार्यक्रम प्रारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के सहयोग से संचालित होगा। इसमें आगामी 2 वर्षों हेतु प्रत्येक ज़िले में एक सुशिक्षित और उच्च्च कौशल से परिपूर्ण योग्य युवा फैलो की तैनाती की जाएगी।
- व्यावसायिक रूप से दक्ष इन युवाओं द्वारा स्थानीय ज़िला प्रशासन को मिशन अंकुर के क्रियान्वयन हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसमें डाटा आधारित रणनीति निर्माण, आवश्यकतानुसार क्षमतावर्धन एवं मिशन से जुड़ी नियमित प्रगति सुनिश्चित करना शामिल हैं।
- TISS के विशेषज्ञों द्वारा चयनित युवाओं के लिये एक स्पेशल कोर्स भी विकसित किया जा रहा है, जिससे इन युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाया जाएगा।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम देश के युवाओं के लिये भारत के सबसे बड़े राज्य में से एक, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित प्रयासों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर है। इसमें चयनित युवा ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर फील्ड पर सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन में काम करेंगे और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस (TISS) जैसे प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट द्वारा विकसित किये गए व्यावसायिक उन्नयन (professional development) प्रोग्राम से अपने कौशल को और उभारेंगे।
- इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर युवा मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 3 में पढ़ रहे लगभग 23 लाख छात्रों के लिये अर्थपूर्ण शिक्षा की नींव बनाने में भागीदार बन सकते हैं।
- इस प्रोग्राम के द्वारा राज्य सरकार जोश से भरपूर युवा प्रतिभा के माध्यम से मिशन अंकुर के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी लाना चाहती है।
- विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'निपुण भारत मिशन'(National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2026-27 तक निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2021 में मिशन अंकुर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री निवास पर मनाया गया लाड़ली लक्ष्मी उत्सव

चर्चा में क्यों ?

2 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी दिवस पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में बेटियों के सम्मान, मार्गदर्शन और संवाद पर केंद्रित राज्य स्तरीय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को 'हाँ मैं भी लाड़ली हूँ'की टेगलाईन देते हुए घोषणा की कि लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का मेडिकल, आई.आई.टी., आईआईएम, विधि संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी।
- लाड़ली लक्ष्मी बेटियों के लिये प्रदेश में 9 से 15 मई की अवधि में शहर और पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के प्रभावी मूल्यांकन पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया और लाड़ली बालिकाओं को सम्मान और प्रमाण-पत्र वितरित किये। साथ ही लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार भी प्रदान किये गए।

नोट :

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतों में भोपाल की ग्राम पंचायत रानी खजूरी की सरपंच आनंदी बाई यादव, ग्राम पंचायत भाटनी ज़िला विदिशा की सरपंच कैलाश बाई, सीहोर की ग्राम पंचायत फूडरा के सरपंच तेज सिंह चौहान, रायसेन की ग्राम पंचायत सीयर मऊ के सरपंच रमेश शाह और राजगढ़ की ग्राम पंचायत छापरा के सरपंच कैलाश राजपूत को शॉल तथा प्रमाण-पत्र भेंट कर सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ लाड़लियों का सम्मान हो, शत-प्रतिशत बालिकाएँ स्कूल में प्रवेशित हो, सभी का टीकाकरण हो, कोई बेटी कुपोषित नहीं हो, कोई बालिका अपराध नहीं हो और जहाँ बाल विवाह नहीं हो, उन पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत घोषित किया जाता है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाली लाड़ली बालिकाओं में झाबुआ की मुस्कान भूरिया को तीरंदाजी प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक, सिवनी की हिमानी बघेल को राज्य स्तर पर इंस्पायर अवार्ड, रतलाम की केशवी तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे में और रतलाम की ही भव्या को खो-खो में राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धि के लिये ट्राफी और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।
- भोपाल की अनुष्का दुबे ने ताइक्वांडो में ओपन नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उनके प्रवास पर होने के कारण उनकी बहन ने मुख्यमंत्री से ट्राफी और प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने तीन बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये।

नगरीय विकास विभाग को मिले 3 स्कॉच अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

4 मई, 2023 को मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग को नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिये 3 स्कॉच अवार्ड मिले।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग को, शी लाउंज महिला सुविधा-गृह बनाने के लिये सागर स्मार्ट सिटी और धर्मपुरी सीवेज कलेक्शन ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिये मध्य प्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी को सिल्वर स्कॉच अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया है।

नोट :

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सबके लिये आवास मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन को 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई है।

श्री रामचद्र पथ-गमन न्यास

चर्चा में क्यों ?

4 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई मंत्रि-परिषद ने श्री रामचंद्र पथ-गमन वाले अंचलों के विकास के लिये 'श्री रामचंद्र पथगमन न्यास'के गठन की स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस न्यास में 33 सदस्य होंगे। इसमें 28 पदेन न्यासी और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
- इस न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिये समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकेगा। इस न्यास की संस्थागत व्यवस्था के लिये संस्कृति विभाग सक्षम होगा।
- इस न्यास के सुचारू संचालन के लिये परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। इकाई में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 7 पद होंगे।
- इस न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 32 नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिस पर 1 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

मुख्यमंत्री अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

4 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। जिसमें विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुक्रम में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों की सहायता राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी।
- प्रति परिवार कलाकार/साहित्यकार की मासिक सहायता राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 5 हज़ार रुपए कर दी गई है। साथ ही कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3500 रुपए की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना 'कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन'योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया।
- इस योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जाएगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन FPO को हैंडहोल्डिंग प्रदान की जाएगी। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी।
- इस योजना का कियान्वयन संपूर्ण प्रदेश में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद ने 'ई-नगर पालिका पोर्टल'से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका परियोजना के द्वितीय चरण 'ई-नगर पालिका 2.0' के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी। ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जाएगा। इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जाएगा। यह परियोजना 7 वर्ष की होगी।

नोट :

- नई प्रणाली में 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जाएगी। परियोजना आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। संपूर्ण परियोजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रुपए का होगा।
- मंत्रि-परिषद ने दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिये O-M Agreement तथा CNS/ATM एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया।
- प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएँ प्रारंभ होंगी, जिससे दतिया से भी आम नागरिकों के लिये हवाई सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
- मंत्रि-परिषद ने ज़िला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने ज़िला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर के सृजन की स्वीकृति दी।
- मंत्रि-परिषद ने ज़िला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के सृजन की स्वीकृति दी।

हिन्दी फीचर फिल्म 'द केरला स्टोरी' मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2023 को मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने श्री सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित हिन्दी फीचर फिल्म 'द केरला स्टोरी' को प्रदेश में प्रदर्शन अवधि 6 मई से 5, जून 2023 तक के लिये टैक्स फ्री करने का आदेश जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- फिल्म के कथानक एवं अन्य विशेष समाजोपयोगी गुणों के दृष्टिगत इसे कर मुक्त किया गया है।
- जारी आदेश के अनुसार, फिल्म के प्रदर्शन के लिये संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स द्वारा फिल्म के टिकट, एसजीएसटी की धनराशि को घटा कर दर्शकों को विक्रय किये जाएंगे।
- फिल्म प्रदर्शन के लिये संबंधित सिनेमाघरों के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। एसजीएसटी के अंश के बराबर की राशि की राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि यह फिल्म लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षडयंत्र को उजागर करती है।
- क्षणिक भावुकता के जाल में जो बेटियाँ लव जिहाद के जाल में उलझ जाती हैं, उनकी किस तरह बर्बादी होती है, उस पर यह फिल्म प्रकाश डालती है। आतंकवाद की डिज़ाइन को भी यह फिल्म उजागर करती है।

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण को शुरू करने के लिये निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के शत-प्रतिशत निराकरण के लिये प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा।
- मुख्य रूप से इस अभियान के 2 प्रमुख घटक होंगे। प्रथम घटक में ऐसे सभी विभागों, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, के कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा-संभव शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। साथ ही सी.एम.हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण होगा।
- वहीं दूसरे घटक में सी.एम. हेल्पलाइन में 15, अप्रैल 2023 तक दर्ज और वर्तमान में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्त्ता को भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
- इस अभियान में चिह्नांकित 67 सेवाएँ नागरिकों को प्रदान करने वाले सभी मैदानी कार्यालयों में सेवा प्रदान शिविर लगाए जाएंगे।

नोट :

- सभी कलेक्टर अपने ज़िले में प्रत्येक कार्यालय, जिसमें शिविर लगेगा, के लिये विशिष्ट नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। चिह्नांकित 67 सेवाओं के जो आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन संबंधित कार्यालयों में अभियान प्रारंभ होने के पूर्व लंबित हैं, उनका निराकरण अभियान के दौरान किये जाने तथा प्रत्येक दिन के निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
- इस अभियान की अवधि में प्राप्त निर्धारित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण भी पोर्टल में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाएगा। पोर्टल पर ज़िले के शिविर की संख्या भी दर्ज की जाएगी।
- ज़िला कलेक्टर अभियान के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों में से ऐसी शिकायतों को, जिनका निराकरण बजट संबंधी कारणों, नीतिगत निर्णयों, सिविल या उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण के कारणों से किया जाना संभव न हो, अलग से चिह्नित कर सकेंगे।
- इस अभियान में शेष समस्त शिकायतों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर 15 अप्रैल, 2023 तक दर्ज, किंतु वर्तमान में लंबित समस्त शिकायतें अलग से प्रदर्शित की जाएंगी। यह सेवा 5 मई, 2023 से सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर लाइव की जा रही है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रथम चरण (17 सितंबर, 2022 से 31 अक्तूबर 2022) में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त कर 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

8 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में 21 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया और इनकी उपस्थिति में नगर निगम भोपाल और सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा कंपनियों के मध्य अनुबंध निष्पादन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- सौर और पवन ऊर्जा का यह प्रोजेक्ट भोपाल नगर के लिये ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
- इस प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष भोपाल नगर निगम को 14 करोड़ रुपए की बचत होगी। आगामी समय में इसमें और वृद्धि होगी।
- इस प्रोजेक्ट से भोपाल नगर निगम को अगले 25 वर्ष तक समान दर से बिजली उपलब्ध होगी।
- वर्तमान में 12 करोड़ रुपए प्रति माह बिजली का खर्च हो रहा है। अगले 25 वर्ष के लिये बचत की योजना 2 परियोजनाओं से क्रियान्वित नगर निगम के सभी ज़ोनल ऑफिस में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से नगर निगम भोपाल की 60 प्रतिशत विद्युत मांग की पूर्ति हो जाएगी।
- परियोजनाओं के महत्त्वपूर्ण पहलू -
  - देश में किसी भी नगरीय निकाय द्वारा लगाई जाने वाली प्रथम ग्रिड संयोजित ओपन एक्सेस परियोजना है।
  - मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली प्रथम हाइब्रिड परियोजना हैं, जिनमें सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग एक साथ होगा।
  - पॉवर बैंकिंग विनियम पर आधारित प्रथम नवीकरणीय परियोजना है।
  - इन परियोजनाओं से नगर निगम भोपाल की लगभग 60 प्रतिशत विद्युत मांग की पूर्ति होगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिये नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में जानकारी दी गई कि नशा-मुक्त भारत अभियान में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश को देश में प्रथम और दतिया ज़िले को सर्वश्रेष्ठ ज़िला घोषित किया गया है।

नोट :

- विदित है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट में 4740 अपराध पंजीबद्ध कर 5673 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।
- इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नशे के कारोबार में लगे व्यक्ति सबसे घातक और खतरनाक अपराधी हैं, इनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति चिन्हित कर उन्हें जब्त किया जाए।
- नशे और उसके कारोबार पर नियंत्रण के लिये अद्यतन तकनीक का उपयोग करें। खुफिया तंत्र को सक्रिय और सुदृढ़ किया जाए तथा अन्य राज्यों में जारी बेस्ट प्रेक्टिसेज एवं नवाचारों को राज्य में लागू किया जाए।
- युवा वर्ग को जागरूक करने के लिये प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन-जागरण अभियान चलाएँ। स्कूल, कॉलेजों और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।
- युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई जाए, इसके लिये आगामी शैक्षणिक-सत्र आरंभ होने पर स्कूल, कॉलेजों में गतिविधियाँ संचालित की जाए।
- प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नशा-मुक्ति केंद्र संचालित किये जाएँ। मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण, नशा-मुक्ति तथा नशे के विरूद्ध जन-जागरण के लिये निरंतर गतिविधियाँ संचालित करना आवश्यक है।
- नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की ज़िला स्तरीय समितियों की प्रतिमाह बैठक हो और उनमें हुई कार्यवाही की जानकारी राज्य स्तरीय समिति के सामने रखी जाए।
- प्रदेश के जिन ज़िलों में एन.डी.पी.एस. न्यायालय गठित नहीं है, वहाँ तत्काल न्यायालयों का गठन किया जाए।

प्रदूषण से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के अध्ययन के लिये एम्स, भोपाल और एमपी पीसीबी में करार

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपी पीसीबी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,भोपाल के मध्य 'पर्यावरण प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव'पर संयुक्त अध्ययन और अनुसंधान के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू पर एमपी पीसीबी बोर्ड के सदस्य सचिव चंद्रमोहन ठाकुर और एम्स के निदेशक एवं कार्यपालन अधिकारी डॉ. अजय सिंह ने हस्ताक्षर किये।

नोट :

- दोनों संस्थान के विषय-विशेषज्ञों द्वारा किया गया करार भावी पीढ़ी की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये देश में एक नई मिसाल कायम करेगा।
- दोनों संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त अध्ययन से यह पता लगेगा कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषण के विभिन्न प्रदूषकों का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और उनसे कौन-कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।
- प्रदूषण से कैंसर, श्वसन संबंधी और हृदय रोग आदि गंभीर बीमारियों पर अंकुश लगाने और इनके आधार पर स्वास्थ्य नीति निर्धारण में मदद मिलेगी।
- यह शोध अन्य राज्यों में हो रहे शोध कार्य में भी सहायक होंगे। फिलहाल करार 2 वर्ष के लिये किया गया है। यह करार अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।
- वायु प्रदूषण और इससे होने वाली बीमारियों के नियंत्रण में यह करार एक टर्निंग पाइंट सिद्ध होगा। विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण से होने वाली विभिन्न बीमारियों के अध्ययन में इससे बहुत मदद मिलेगी। प्रमाणिक डाटा उपलब्ध होने के कारण देश-प्रदेश में कारगर स्वास्थ्य नीति बनाने में मदद मिलेगी।
- विदित है कि जल-प्रदूषण भी अनेक संक्रामक और गंभीर रोगों का कारण बनता है। संयुक्त अध्ययन इन बीमारियों के नियंत्रण और निज़ात की दिशा में एक अनूठी पहल है, जो अन्य राज्यों के समक्ष एक मिसाल कायम करेगा।

हिन्दी में लिखित चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय एवं मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा आयोजित मातृभाषा हिन्दी में चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- विमोचित पुस्तकों 'डायलिसिस तकनीशियन', 'आपरेहान थियेटर तकनीशियन'एवं 'एक्सरे तकनीशियन'को डॉ. गणेशराम मेहर द्वारा लिखा गया है।
- वहीं डॉ. प्रेमचंद सवर्णकार द्वारा 'परिचयात्मक रोग विकृति विज्ञान और आधुनिक नैदानिक जाँचे' पुस्तकों को लिखा है और डॉ. सुरेश तिवारी द्वारा 'पंच कर्म चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत'तथा डॉ. ए.के. द्विवेदी द्वारा 'मानव शरीर रचना विज्ञान'पुस्तकों को लिखा है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा, प्रांतीय भाषा, भारतीय भाषाओं, अनुवाद एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को महत्त्व दिया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश में चिकित्सा जैसे तकनीकी-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का हिन्दी में लेखन और अनुवाद का कार्य जारी है।
- मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं अटल बिहारी वाजपयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा किया गया यह नवाचार सराहनीय है।
- ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हिन्दी में भी मेडिकल की पढ़ाई की शुरूआत की है। 16 अक्तूबर, 2022 को भोपाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिन्दी पुस्तकों का विमोचन किया था।

भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता लेगा मध्य प्रदेश बीज संघ

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को मध्य प्रदेश सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता और किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल की विशेष उपस्थिति में मंत्रालय में हुई राज्य बीज उत्पादक और विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक में मध्य प्रदेश राज्य बीज संघ द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता लेने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- संचालक मंडल ने 16 प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता देने की मंजूरी दी।
- इसके साथ ही राज्य बीज संघ के निर्मित गोदाम-सह-ग्रेडिंग प्लांट में सुरक्षा के लिये वायर फेंसिंग कराए जाने का भी निर्णय लिया गया।
- बीज संघ के एम.डी. ए.के. सिंह ने बताया कि वर्ष 2022-23 में बीज संघ द्वारा देश और प्रदेश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से खरीफ वर्ष 2022 में 455 क्विंटल से अधिक और रबी वर्ष 2022-23 के लिये 898 क्विंटल प्रजनक बीज के उठाव और वितरण की प्रगति दर्ज की गई।
- गौरतलब है कि बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर की मांग के अनुरूप बीज उत्पादन हेतु प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समिति के गठन का अभियान वर्ष 2002 से चलाया गया।
- बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को बीज उत्पादन एवं विपणन में समन्वय हेतु मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ (बीज संघ) का गठन 13 दिसंबर 2004 को किया गया।
- बीज संघ का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक बीज उत्पादक समितियों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के मांग अनुसार प्रजनक एवं आधार बीज उपलब्ध कराना एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन बीज समिति से करवाकर प्रदेश के कृषकों को उचित समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है।
- बीज संघ के गठन के पश्चात् वर्ष 2004-05 में प्रदेश की पंजीकृत बीज उत्पादक समितियों के माध्यम से 16000 हेक्टेयर क्षेत्र से 1.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन प्रारंभ किया गया।

मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य के मुरैना ज़िले के विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिये 141 करोड़ रुपए स्वीकृति किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसमें केंद्र सरकार द्वारा रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के प्रथम चरण में 129 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- स्वीकृत राशि से किये जाने वाले कार्यों में 22 किलोमीटर 132 केव्ही के अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 5 नवीन 33/केव्ही उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिये 34 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना, तीन 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त

नोट :

पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 294 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 213 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य एवं 495 किलोमीटर 33 तथा 11 केव्ही उच्च दाब फीडरों के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।

- इससे मुरैना ज़िले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही, आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की पूर्ति हो सकेगी।

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु

- संशोधित नियम के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।
- महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- संशोधित नियम के अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।
- इसी प्रकार जोड़े गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है।
- संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है।

मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य के मुरैना ज़िले के विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिये 141 करोड़ रुपए स्वीकृति किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसमें केंद्र सरकार द्वारा रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के प्रथम चरण में 129 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- स्वीकृत राशि से किये जाने वाले कार्यों में 22 किलोमीटर 132 केव्ही के अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 5 नवीन 33/केव्ही उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिये 34 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना, तीन 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 294 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 213 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य एवं 495 किलोमीटर 33 तथा 11 केव्ही उच्च दाब फीडरों के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।
- इससे मुरैना ज़िले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही, आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की पूर्ति हो सकेगी।

नोट :

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु

- संशोधित नियम के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।
- महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- संशोधित नियम के अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।
- इसी प्रकार जोड़े गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है।
- संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है।

मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य के मुरैना ज़िले के विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिये 141 करोड़ रुपए स्वीकृति किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसमें केंद्र सरकार द्वारा रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के प्रथम चरण में 129 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- स्वीकृत राशि से किये जाने वाले कार्यों में 22 किलोमीटर 132 केव्ही के अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 5 नवीन 33/केव्ही उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिये 34 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना, तीन 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 294 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 213 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य एवं 495 किलोमीटर 33 तथा 11 केव्ही उच्च दाब फीडरों के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।
- इससे मुरैना ज़िले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही, आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की पूर्ति हो सकेगी।

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- संशोधित नियम के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।
- महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- संशोधित नियम के अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।
- इसी प्रकार जोड़े गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है।
- संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है।

मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य के मुरैना ज़िले के विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिये 141 करोड़ रुपए स्वीकृति किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसमें केंद्र सरकार द्वारा रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के प्रथम चरण में 129 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- स्वीकृत राशि से किये जाने वाले कार्यों में 22 किलोमीटर 132 केव्ही के अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 5 नवीन 33/केव्ही उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिये 34 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना, तीन 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 294 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 213 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य एवं 495 किलोमीटर 33 तथा 11 केव्ही उच्च दाब फीडरों के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।
- इससे मुरैना ज़िले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही, आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की पूर्ति हो सकेगी।

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु

- संशोधित नियम के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।
- महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

नोट :

- संशोधित नियम के अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।
- इसी प्रकार जोड़े गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है।
- संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है।

गौ-रक्षा संकल्प सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

12 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गौ-रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों एवं सभी विकासखंड के लिये 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- इन एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध होंगे। आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिये टोल फ्री नं. 1962 जारी किया गया है।
- विदित है कि पूर्व में बीमार पशुओं को अस्पताल तक ले जाना बड़ी समस्या होती थी। एम्बुलेंस के आने से पशु चिकित्सालय स्वयं पशुपालक के द्वार पर उपस्थित होगा।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में गौ-वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौ-हत्या करने वाले को 7 साल की सजा और अवैध परिवहन पर कारावास का प्रावधान है। गौ-वंश के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को राजसात किया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय पालने के लिये 900 रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे। इस माह 22 हज़ार किसानों को योजना की किस्त जारी की जाएगी। जनजातीय भाई-बहनों को गौ-पालन के लिये गाय खरीदने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- विदित है कि गाय के गोबर से सीएनजी बनाने के प्रोजेक्ट पर जबलपुर में कार्य जारी है। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गोवर्धन प्लांट स्थापित कर गोबर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी, इससे सीएनजी निर्मित होगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-शालाओं में बनाए जाने वाले प्राकृतिक पेंट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर के शासकीय भवनों में करने की नीति बनाई जाएगी। इससे गोबर और गौ-मूत्र के व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में 8 गौ-सदन और दो गौ-वंश वन्य विहार विकसित किये जाएंगे। इनके संचालन का जिम्मा गौ-सेवक संस्था को सौंपा जाएगा।
- गौ-शालाओं के सुचारू प्रबंधन के उद्देश्य से 4-5 ग्राम पंचायतों के लिये एक बड़ी गौशाला विकसित की जाएगी। प्राथमिक तौर पर प्रदेश में कुछ स्थानों पर मॉडल के रूप में ऐसी गौ-शालाएँ विकसित की जाएंगी। इन गौ-शालाओं की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कोई संस्था ले सकती है और संस्था को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- गौ-शालाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके बेहतर प्रबंधन के लिये ज़िला स्तर पर अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

नोट :

'एक सप्ताह-एक प्रयोगशाला' कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

14 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कॉउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के एडवांस्ड मैटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टिट्यूट (सी.एस.आई.आर.-एंम्प्री) के सभागार में 'एक सप्ताह-एक प्रयोगशाला' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- एक सप्ताह-एक प्रयोगशाला कार्यक्रम उद्देश्य प्रयोगशाला के शोध को आमजन तक पहुँचाना है।
- एक सप्ताह-एक प्रयोगशाला कार्यक्रम आत्म-निर्भर भारत निर्माण की सार्थक पहल है। कार्यक्रम से भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान की प्रेरणा मिलेगी।
- इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सी.एस.आई.आर एंम्प्री की गतिविधियों पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन और वन वीक वन लैब पुस्तिका का लोकार्पण किया साथ ही संस्थान द्वारा उद्यम के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये दस्तावेज़ का विनिमय भी किया गया।
- सी.एस.आई.आर. एंम्प्री के इस सप्ताह के दौरान 14 से 18 मई तक अलग-अलग तरह के 10 कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में 14 मई 1981 को सी. एफ.आई.आर.एम्प्री संस्थान की नई दिल्ली में स्थापना हुई थी, जिसे वर्ष 1983 में भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2007 में भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ संस्थान का पुनर्गठन किया गया।

नोट :

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की है। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के 3 वर्षीय बजट एवं वित्तीय प्रावधानों के (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) अंतर्गत 41 हज़ार 923 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रि-परिषद ने शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों के प्रबंधन के संबंध में 22 अप्रैल, 2023 को जारी विभागीय आदेश का अनुसमर्थन किया।
  - आदेश अनुसार जिन शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, उनसे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे।
  - शेष कृषि भूमियों को ज़िला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर कृषि प्रयोजन के लिये नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा कराई जाएगी।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत वर्ष 2023-24 के लिये अग्रिम भंडारण एक फरवरी से 31 मई की अवधि में 10 लाख 80 हज़ार टन मात्रा किये जाने का निर्णय लिया गया।
  - उल्लेखनीय है कि रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, काम्प्लेक्स एवं पोटाश) की अग्रिम भंडारण योजना में राज्य में डीएपी, कॉम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य नोडल एजेंसी घोषित किया गया है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्यूटराईजेशन के लिये केंद्र प्रायोजित परियोजना में प्रदेश की 4534 पैक्स का कंप्यूटराईजेशन कराए जाने की स्वीकृति दी गई।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतनेट योजना अनुसार प्रदेश की 4534 पैक्स के मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- मंत्रि-परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा समेकित बाल-संरक्षण योजना 'मिशन वात्सल्य'को नवीन नार्म्स अनुसार प्रदेश के सभी ज़िलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम-2019 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  - प्रदेश में 44 ज़िलों के रेत समूहों का 'ई-निविदा'के स्थान पर 'ई-निविदा-सह-नीलामी' प्रक्रिया द्वारा समूहवार ठेके से निर्वर्तन किया जाएगा।
  - ठेके की अवधि, अनुबंध दिनांक से 3 वर्ष (दो अतिरिक्त वर्ष हेतु विस्तारणीय) निर्धारित किये जाएंगे।
  - राज्य खनिज निगम द्वारा वैधानिक अनुमतियाँ (माइनिंग प्लान/पर्यावरण अनुमति/ जलवायु सम्मति आदि) प्राप्त की जाएंगी।
  - निविदा में सफल एम.डी.ओ. (माईंस डेवलपर कम ऑपरेटर), कलेक्टर एवं निगम के बीच त्रि-पक्षीय अनुबंध का निष्पादन किया जाएगा।
  - ठेका राशि की देयता त्रैमासिक के स्थान पर मासिक किश्त के रूप में और ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष जुलाई के स्थान पर ठेका संचालन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर की जाएगी।

नोट :

चौथे 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' में जल संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में मध्य प्रदेश को 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को जल-संसाधन के बेहतर उपयोग, जल-संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिये राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 की 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' श्रेणी में प्रथम स्थान के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
- इन श्रेणियों में 'सर्वश्रेष्ठ राज्य', 'सर्वश्रेष्ठ ज़िला', 'सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत', 'सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय', 'सर्वश्रेष्ठ मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक)', 'सर्वश्रेष्ठ स्कूल', 'कैंपस उपयोग के लिये सर्वश्रेष्ठ संस्थान (संस्थान/आरडब्ल्यूए/धार्मिक/उच्च शिक्षा संगठन)', 'सर्वश्रेष्ठ उद्योग', 'सर्वश्रेष्ठ एनजीओ', 'सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्त्ता संघ' और 'सीएसआर गतिविधियों के लिये सर्वश्रेष्ठ उद्योग' शामिल हैं।
- विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति-पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले विजेताओं के लिये नकद पुरस्कार क्रमश: 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है।
- सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विभिन्न घटकों-जल जीवन मिशन एवं जल शक्ति अभियान की उपलब्धियों, जल-संसाधन के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास, वाटर पॉलिसी, सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर माइक्रो इरीगेशन तकनीकी का प्रयोग, नवीन माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन, जल उपयोग की दक्षता (एफीशिएंसी), जल-संरचनाओं का पुनरुद्धार, सीवेज एवं औद्योगिक अपशिष्ट पानी को उपचारित कर पुन: उपयोग आदि क्षेत्रों में प्रयासों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्यूए), सरकार की 'जल समृद्ध भारत' की परिकल्पना को पूरा करने के काम में देश भर में राज्यों, ज़िलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किये गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये दिये जाते हैं।
- इसका उद्देश्य जनता को पानी के महत्त्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रेरित करना है।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य हितधारकों को देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना है, क्योंकि सतही जल और भूजल जल चक्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये विभाग ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का पहला संस्करण पेश किया। पुरस्कार वितरण समारोह 25 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और 14 श्रेणियों के तहत 82 विजेताओं को सम्मानित किया गया।
- दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति ने 16 श्रेणियों में 98 विजेताओं को 11-12 नवंबर, 2020 को सम्मानित किया।
- तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 29 मार्च, 2022 को आयोजित किया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 श्रेणियों में 57 विजेताओं को सम्मानित किया। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला था।

कैबिनेट ने युवाओं के लिये 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के लिये 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' (युवा कौशल कमाई योजना) को मंज़ूरी दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में 12वीं, आईटीआई, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पात्र होंगे। योजना के तहत एक साल तक युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हज़ार रुपए तक दिये जाएंगे।
- योजना के तहत राज्य सरकार ने एक लाख बेरोज़गारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। यदि इससे ज्यादा बेरोज़गार युवा आते हैं तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा।
- इसमें एक पोर्टल पर युवाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दस्तावेज, समग्र आईडी, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र समेत अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी।
- योजना की पात्रता के लिये मध्य प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है। आयु 18 से 29 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं पास या आईटीआई ज़रूरी है।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना के तहत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल मैनेजमेंट, टूरिज़्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं के 700 विभिन्न प्रकार के काम बच्चों को सिखाए जाएंगे।
- यह काम किसी संस्था, कंपनी, फैक्ट्री, अस्पताल में सिखाए जाएंगे। इस दौरान बच्चों के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
- योजना के तहत 12वीं या उससे कम पढ़े-लिखे होने पर 8,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। आईटीआई पास करने वाले को 8,500 रुपए, डिप्लोमा करने वाले को 9,000 रुपए और डिग्री या उससे अधिक की पढ़ाई करने वाले को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे।
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' के अंतर्गत कम-से-कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से एक हज़ार करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 से 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होगा। स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड की ओर से स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

एम.पी. ट्रांसको ने हासिल की उत्कृष्ट उपलब्धि

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एम.पी. ट्रांसको (एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) ने प्रदेश के अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में 1000वाँ ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत कर एक उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार हरदा ज़िले के 132 के.व्ही. सब-स्टेशन में 63 एम.व्ही.ए. क्षमता का पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित एवं ऊर्जीकृत कर एम.पी. ट्रांसको ने यह सफलता प्राप्त की है।
- इससे जहाँ सब स्टेशन की क्षमता बढ़कर 189 एम.व्ही.ए. हो गई है, वहीं हरदा ज़िले की ट्रांसफॉर्मेशन केपेसिटी बढ़कर 839 एम.व्ही.ए. की हो गई है।
- एम.पी. ट्रांसको हरदा ज़िले में एक 220 के.व्ही. सब स्टेशन हंडिया तथा 132 के.व्ही.के 03 सब स्टेशनों हरदा, खिरकिया एवं सुल्तानपुर के माध्यम से विद्युत पारेषण करती है।
- एम.पी. ट्रांसको 2.63 प्रतिशत पारेषण हानि के साथ देश में न्यूनतम पारेषण हानि वाली ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। इसके अलावा एम.पी. ट्रांसको की ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता निर्धारित 98.5 प्रतिशत के विरूद्ध देश में सर्वश्रेष्ठ 99.45 प्रतिशत है।
- एम.पी. ट्रांसको में इस 1000वें ट्रांसफार्मर की स्थापना से प्रदेश की ट्रांसफॉर्मेशन केपेसिटी बढ़कर 77 हज़ार 109 एम.व्ही.ए. हो गई है। इसमें 400 के.व्ही. में 11 हज़ार 200, 220 के.व्ही. में 31 हज़ार 875 एम.व्ही.ए. तथा 132 के.व्ही. में 34 हज़ार 34 एम.व्ही.ए. शामिल हैं।
- एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के नेटवर्क में 414 अति उच्चदाब के सब स्टेशन क्रियाशील हैं। इसमें 400 के.व्ही.वोल्टेज स्तर के 14 हज़ार 220 के.व्ही. के 88 सब स्टेशन तथा 132 के.व्ही. वोल्टेज के 312 सब स्टेशन शामिल हैं।

नोट :

- एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में 400 के.व्ही.वोल्टेज स्तर के 36, 220 के.व्ही. के 208 तथा 132 के.व्ही. वोल्टेज के 756 पॉवर ट्रांसफार्मर क्रियाशील हैं।
- एम.पी. ट्रांसको के नेटवर्क से प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 88 हज़ार 850 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदाय की गई, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ है।
- प्रदेश में एम.पी. ट्रांसको की पारेषण लाइनें 41527.76 सर्किट किलोमीटर में स्थापित हैं जिनमें लगे 87 हज़ार 258 टावर्स से प्रदेश में विद्युत का पारेषण होता है।
- उल्लेखनीय है कि विद्युत प्रदाय अधिक होने पर पारेषण हानि भी बढ़ने की संभावना होती है। वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 08 प्रतिशत से अधिक विद्युत प्रदाय किया गया फिर भी एम.पी. ट्रांसको में पारेषण हानियाँ पिछले वर्ष के बराबर अर्थात् 2.63 प्रतिशत ही रही है।

सभी ग्रामों में बनेंगी लाड़ली बहना सेनाएँ

चर्चा में क्यों ?

21 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार ज़िले के गंधवानी में आयोजित 'लाड़ली बहना महासम्मेलन'में कहा कि बहनों के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिये सभी ग्रामों में लाड़ली बहना सेनाएँ बनेंगी।

प्रमुख बिंदु

- महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 229 करोड़ 66 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 187 करोड़ 76 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कार्यों पर निगरानी रखने के लिये लाड़ली बहना सेनाओं की भूमिका को सक्रिय बनाया जाएगा। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य शामिल की जाएंगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा, सहरिया और भारिया के लिये 1000 रुपए मासिक प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई थी। इस राशि से महिलाएँ घर में फल, दूध, सब्जी आदि खरीदने का कार्य कर सकती हैं।
- लाड़ली बहना योजना भी इसी विचार का विस्तार है। इसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के अलावा सभी बहनों के लिये प्रतिवर्ष 12 हज़ार रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 10 जून से महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि धार ज़िले में पीएम मित्र टेक्सटाईल पार्क प्रारंभ होने से क्षेत्र में महिलाओं को आसानी से रोज़गार उपलब्ध होंगे। टेक्सटाईल पार्क से दो लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- इस अवसर पर धार ज़िले के 13 विकासखंड की बहनों ने ज़िले की 90 हज़ार बहनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान को पाती (चिट्ठियाँ) सौंपी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ करने के लिये धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने पन्ना गौरव दिवस पर 'जुगल किशोर सरकार लोक' बनाने की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती पर पन्ना गौरव दिवस के आयोजन में उज्जैन के 'महाकाल लोक' की तर्ज पर पन्ना में 'जुगल किशोर सरकार लोक' बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में हुए गौरव दिवस समारोह में पन्ना को पवित्र धार्मिक नगरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुगल किशोर सरकार लोक में चारों मंदिर परिसर सम्मिलित किये जाएंगे। जुगल किशोर लोक सुझाव और सलाह लेकर बनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने लोगों को महाराजा छत्रसाल से प्रेरणा लेने और उनके आदर्शों का अनुसरण करने के उद्देश्य से धर्मसागर तालाब में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की।
- गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने पन्ना ज़िले के विकास के लिये 178 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया।
- मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधियों की माँग पर कहा कि जब 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों/ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का फैसला होगा, तब उसमें पन्ना को भी शामिल किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में कृषि महाविद्यालय की मांग की गई थी, बाद में उसे तत्कालीन सरकार द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे अब पन्ना में पुन: वापस लाया गया है।
- गौरतलब है कि मध्यकालीन राजपूत योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेला (4 मई, 1649-20 दिसम्बर, 1731) भारत के मध्ययुग के एक महान प्रतापी योद्धा थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिन्दू राज्य स्थापित किया और 'महाराजा' की पदवी प्राप्त की।
- महाराजा छत्रसाल का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था और वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। वे अपने समय के महान वीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। उनका जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिये जूझते हुए निकला।

नोट :

एच.एम.आई. तकनीक से ऊर्जीकृत हुआ प्रदेश में पहला 220 के.व्ही. स्तर का पॉवर ट्रांसफार्मर

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को एमपी ट्रांसको (मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) के मुख्य अभियंता अतुल जोशी ने बताया कि कंपनी ने नवाचार करते हुए प्रदेश में पहली बार 220 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर 160 एम.व्ही.ए. क्षमता का पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्काडा नियंत्रण कक्ष जबलपुर से एच. एम.आई. (ह्यूमन मशीन इंटरफेस) तकनीक के सहारे रिमोट से ऊर्जीकृत किया है।

प्रमुख बिंदु

- एमपी ट्रांसको में इस एडवांस्ड टेक्नोलोजी का उपयोग अभी तक नये 132 के.व्ही. वोल्टेज स्तर के सब स्टेशनों और 132 के.व्ही. की लाइनों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जो रिमोट से ऊर्जीकृत किये गए हैं।
- यह पहली बार है जब 220 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर इस तकनीक का उपयोग कर 160 एम.व्ही.ए. जैसा अति-संवेदनशील उपकरण रिमोट से ऊर्जीकृत किया गया है।
- जबलपुर नयागाँव स्थित 220 के.व्ही. सब स्टेशन में लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित नए 160 एम.व्ही.ए. क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर को इस टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर ऊर्जीकृत किया गया है।
- इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से महाकौशल क्षेत्र की पारेषण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महाकौशल क्षेत्र के 8 ज़िलों में मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अपने 58 सब स्टेशनों से विद्युत पारेषण करती है, जिसमें 400 के.व्ही. के दो सब स्टेशन 220 के.व्ही. के 9 सब स्टेशन तथा 132 के.व्ही. के 47 सब स्टेशन शामिल हैं।
- इनमें 400 के.व्ही. साइड 830 एम.व्ही.ए., 220 के.व्ही. साइड 3660 एम.व्ही.ए. तथा 132 के.व्ही. साइड 4607 एम.व्ही.ए. इस प्रकार कुल 9097 एम.व्ही.ए. की ट्रांसफारमेशन कैपेसिटी विद्यमान है।
- महाकौशल क्षेत्र के नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और कटनी ज़िलों को अब आवश्यकता पड़ने पर जबलपुर से तकरीबन 50 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि जबलपुर के इस सब स्टेशन में अमरकंटक, बिरसिंहपुर, बरगी विद्युत उत्पादन केंद्रों के अलावा पॉवर ग्रिड से विद्युत का पारेषण होता है।
- ह्यूमन मशीन इंटरफेस तकनीक में मानव और कंप्यूटर मशीनों का उपयोग कर रिमोट से उपकरणों को नियंत्रित किया जाता है। एमपी ट्रांसको के प्रदेश में क्रियाशील 3 स्काडा कंट्रोल सेंटर में एडीएमएस के सहारे इस तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- विदित है कि एमपी ट्रांसको ने पूर्व में भी अपने सिस्टम में अनेक नवाचार किये हैं। इसमें देश में सर्वप्रथम स्टेट लोड डिस्पेच सिस्टम में साइबर सिक्यूरिटी सिस्टम लागू करना, स्काडा प्रणाली लागू करना, ट्रांसमिशन लाइनों की ड्रोन से पेट्रोलिंग, 400 के.व्ही. के सब स्टेशनों को रिमोट से संचालित करने की योजना जैसे नवाचार शामिल हैं।

भोपाल में स्थापित होगा महाराणा प्रताप लोक

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भोपाल लाल परेड मैदान में आयोजित समारोह में भोपाल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक का निर्माण किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- स्मारक में महाराणा प्रताप के जीवन और कार्यों को चित्रित किया जाएगा। साथ ही उनके सात सहयोगियों भामाशाह, पुंजाभील, चेतक और अन्य के योगदान को भी चित्रित कर दर्शाया जाएगा।
- महाराणा प्रताप द्वारा अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिये संघर्ष तथा जीवन मूल्यों पर अडिग रहने की उनकी क्षमता से आने वाली पीढ़ी अवगत हो सके और तदनुसार संस्कार ग्रहण कर सकें, इस उद्देश्य से महाराणा प्रताप लोक का निर्माण किया जाएगा।
- समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शालेय पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी। साथ ही महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा।

नोट :

- गौरतलब है कि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई, 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदयसिंह एवं माता रानी जयवंतारबाई के घर हुआ। वे महावीर राणा सांगा के पौत्र थे। वे इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिये अमर हैं।
- उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया, अंतत: अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियाँ शिवाजी महाराज से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों तक के लिये प्रेरणा-स्त्रोत बनीं।
- महाराणा जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा 'चेतक' दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला और कवच सहित ढाल-तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का वजन उठाकर वे युद्ध लड़ते थे।
- 30 मई, 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणबाँकुरी मेवाड़ी सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में महाराणा ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिये, परंतु अकबर की विशाल सेना के आगे राजपूत सेना नहीं टिक पाई और राणा प्रताप को जंगल में शरण लेनी पड़ी, पर उन्होंने अकबर की दासता स्वीकार नहीं की।
- चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों को शत्रु से पुन: छीन लिया। महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुन: स्थापित कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा को चुनौती दी लेकिन मुगलों को मुँह की खानी पड़ी। आखिरकार, युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी, 1597 को चांवड में हुई।

थाईलैंड में खरगौन की बेटियों ने एशियन कैनो स्लैलम में जीते चार पदक

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार थाईलैंड के पटाया में संपन्न हुई एशियन कैनो स्लैलम प्रतियोगिता में खरगौन ज़िले की महेश्वर की बेटियों ने सफलता का परचम लहराते हुए चार पदक जीते हैं।

प्रमुख बिंदु

- खेल अधिकारी पवि दुबे ने बताया कि युवा कल्याण वाटर स्पोर्ट्स कैनो स्लैलम प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। इसमें मध्य प्रदेश के खरगौन ज़िले से शिखा चौहान दो कांस्य, भूमि बघेल एक कांस्य और अहाना यादव एक कांस्य पदक विजेता रहीं।
- कैनो स्लैलम काफी तेज बहाव वाले पानी में संतुलन बनाने का खेल है। कैनो स्लैलम में प्रतियोगी, 300 मीटर तक की दूरी वाले व्हाइट वाटर कोर्स पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहाँ उन्हें अधिकतम 25 अपस्ट्रीम (पानी की धारा के विपरीत) और डाउनस्ट्रीम (पानी की धारा की दिशा में) गेट से जल्दी-से-जल्दी पार होना होता है।
- इस खेल में दो प्रकार की नाव इस्तेमाल की जाती है: पहला कैनो होता है, जिसे हिन्दी में डोंगी भी कहा जाता है। कैनो एक खास प्रकार की नाव होती है जो लंबी, सँकरी और काफी हल्की होती है। कैनो के साथ एथलीट को नीलिंग (घुटनों के बल) पोजीशन में बाँधा जाता है और वे एक चप्पू (सिंगल-ब्लेड पैडल) के प्रयोग से नाव को आगे बढ़ाते हैं।
- वहीं दूसरे प्रकार की नाव को 'कायक' कहते हैं, जिसमें डबल ब्लेडेड पैडल (चप्पू) होते हैं। इसमें एथलीट बैठकर दो चप्पूओं का इस्तेमाल करते हुए रेस में हिस्सा लेते हैं।
- विदित है कि 1930 के दशक की शुरुआत में स्विट्ज़रलैंड में कैनो स्लैलम की शुरुआत शीतकालीन खेलों में शामिल स्लैलम स्कीइंग के ग्रीष्मकालीन खेलों के विकल्प के रूप में की गई थी। हालाँकि शुरुआती दौर में रेस व्हाइटवाटर कोर्स की बजाय फ्लैटवाटर पर होती थी।

अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

24-25 मई, 2023 को अवसंरचना वित्त सचिवालय (आईएफएस), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में भोपाल में अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों के साथ मिलकर तय की गई आउटरीच कार्यशालाओं की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला है, जिसका उद्देश्य बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा सामना की जाने वाले जमीनी समस्याओं को सही ढंग से समझना है।
- इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव-वित्त, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, जिन्होंने नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को सही ढंग से समझकर और चिन्हित आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर अवसंरचना के विकास के लिये दीर्घकालिक विजन विकसित करने पर विशेष जोर दिया।
- इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव की राज्य सरकारों के 60 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- इस कार्यशाला की थीम अवसंरचना के विकास और इसके वित्तपोषण के लिये प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चाओं पर केंद्रित थी। चुनौतियों और संभावित समाधानों एवं अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
- मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेशों दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफ), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और एनआईआईएफ- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ-आईएफएल) के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।
- इस कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और अवसंरचना क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविदों को विभिन्न योजनाओं, वित्तीय प्रपत्रों और भारत में अवसंरचना संबंधी रुझानों पर जागरूकता बढ़ाकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद शुरू करने के लिये एक साझा मंच पर लाना था।
- डीईए द्वारा तय की गई राज्य आउटरीच कार्यशाला की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला थी। पिछली कार्यशाला का आयोजन वर्ष 2022 में वाराणसी में किया गया था।

बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिये इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है।

प्रमुख बिंदु

- सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्त्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।
- बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है।
- सूचनाकर्त्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्त्ता नहीं माना जाएगा।
- सूचनाकर्त्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्त्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
- कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।

नोट :

पशुपालन मंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गो-पालकों को किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बड़वानी ज़िले के ग्राम धाबाबावड़ी में 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' में गो-पालकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि पशुपालन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की मूल नस्ल की गायें- मालवी, निमाड़ी और केनकथा के साथ भारतीय उन्नत नस्ल के गो-पालन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के सभी ज़िलों में एक से 15 फरवरी, 2023 तक प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थीं।
- योजना में ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तर पर सर्वाधिक दुधारू गायों का चयन किया गया है। दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार एक लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 50 हज़ार रुपए प्रदान किया गया।
- प्रदेश की मूल गो-वंशीय नस्ल की गायों की प्रतियोगिता में शाजापुर ज़िले के आशीष शर्मा की 14.760 लीटर दूध देने वाली मालवी गाय को प्रथम, उज्जैन ज़िले के बांदरबेला बड़नगर के घनश्याम प्रजापति की 12.882 लीटर दूध देने वाली मालवी गाय को द्वितीय और धार ज़िले के पटलावद के दीपक वर्मा की 11.96 लीटर दूध देने वाली निमाड़ी गाय को तृतीय पुरस्कार मिला।
- भारतीय उन्नत नस्ल में छतरपुर ज़िले के नयागाँव के राजमणि यादव की 25.21 लीटर दूध देने वाली गिर नस्ल की गाय को प्रथम, नीमच की श्रीमती नीलू मुरारी की 22.45 लीटर दूध देने वाली गिर नस्ल की गाय को द्वितीय और सिंगरौली ज़िले के कथुरा निवासी रावेंद्र कुमार पांडे की 20.99 लीटर दूध देने वाली साहीवाल नस्ल की गाय को तृतीय पुरस्कार दिया गया।

नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को मिले 3 स्कॉच अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

27 मई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिये मध्य प्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड प्रदान किये गए।

प्रमुख बिंदु

- शी-लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिये सागर स्मार्ट सिटी, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया है।
- मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य मिशन संचालक सतेंद्र सिंह तथा अपर आयुत्त श्रीमती रुचिका चौहान ने पुरस्कार प्राप्त किया।
- देश के हर गरीब नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आरंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में योजना के विभिन्न घटक में अभी तक साढ़े 9 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिये आवास की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसमें से लगभग साढ़े 6 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- प्रदेश में योजना की सफलता के लिये राज्य द्वारा किये गए कई नवाचार तथा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। यह छोटे और मझोले शहरों में योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है।
- योजना के ए.एच.पी. घटक में हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई दूर करने के लिये त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की ज़िम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ए.एच.पी. घटक के क्रियान्वयन के लिये भू-स्वामी हक पर समयबद्ध अवधि में शासकीय भूमि नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पंजीकृत श्रमिक जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते, उनके लिये योजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रुपए तक अतिरिक्त अनुदान 'मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास' योजना से उपलब्ध कराया जा रहा है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश को अक्तूबर 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा राज्य तथा अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईईसी (प्रचार-प्रसार) गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया था।
- इसके साथ ही गोहद और जोबट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका और नगर परिषद तथा देवास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा नगर निगम का पुरस्कार भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया था।
- इसके पूर्व भी प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का (PMAY Empowering India Awards, 2022) प्राप्त हुआ है।
- साथ ही 24 जून, 2022 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'खुशियों का आशियाना' प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार दिये गए हैं।
- जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के लिये 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य' का दूसरा पुरस्कार और अन्य श्रेणी में 3 पुरस्कार, इस प्रकार कुल 4 पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गए थे।

पर्यटन नगरी खजुराहो में जल प्रदाय का प्रायोगिक परीक्षण प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो और राजनगर में जल प्रदाय व्यवस्था का प्रायोगिक परीक्षण प्रारंभ हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- दोनों नगरों में स्वच्छ जल पहुँचाने के लिये कुटनी डैम पर 10 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। दोनों निकायों में जल प्रदाय परियोजना की 10 वर्षों के संचालन और संधारण के साथ संयुक्त रूप से लागत लगभग 69 करोड़ रुपए है।
- खजुराहो और राजनगर में 7 ओव्हर हेड टैंक निर्मित किये गए हैं, हर घर नल से शुद्ध जल पहुँचाने के लिये दोनों नगरों में लगभग 150 किलोमीटर वितरण लाइन बिछाई गई है। खजुराहो में 3500 घर और राजनगर में 2000 घर में नल कनेक्शन दिये गए हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि इस योजना में मीटरयुक्त नल कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इसका लाभ यह होगा कि भविष्य में रहवासियों को पानी की उपयोगिता के अनुसार ही भुगतान करना होगा जो कि काफी किफायती रहेगा।
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इन नगरों में जल प्रदाय परियोजना पर कार्य किया गया है।
- इससे अब यहाँ के निवासियों के घरों में शुद्ध जल पहुँच रहा है। पानी के लिये अब लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। इससे पानी भरने में व्यर्थ जाने वाले समय का सदुपयोग हो रहा है। पानी का दबाब भी पर्याप्त है, जिससे मोटर लगाने की जरूरत नहीं रहती।

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में नॉलेज हब का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में बीटा थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के नियंत्रण और रोकथाम के लिये क्षमतावर्धन हेतु नॉलेज हब का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि नॉलेज हब के माध्यम से बीटा थैलेसीमिया सहित विभिन्न रक्त विकारों की पहचान, उपचार एवं रोकथाम में सहायता मिलेगी।
- मंत्री सारंग ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य हीमोग्लोबिनपैथी मिशन में ईको इंडिया के सहयोग से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में नॉलेज हब की स्थापना की गई है। इससे प्रदेश के 50 ज़िलों में बीटा थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी पर केंद्रित चिकित्सकों की क्षमता वृद्धि कार्यक्रम में 150 डॉक्टर्स के शुरूआती समूह के लिये प्रशिक्षण-सत्र शुरू किया गया है।
- उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में मेडिकल के साथ ही इंजीनियरिंग के समावेश से सुदूर इलाकों के चिकित्सकों को भी गंभीर बीमारियों के उपचार में सहायता मिलेगी। साथ ही जाँच, प्रारंभिक निदान, उपचार और समग्र आनुवंशिक रक्त विकारों में चिकित्सकों के कौशल में वृद्धि होगी।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन मिशन में सिकल सेल एनीमिया, थैलिसिमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी के विकारों से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की गई है। मिशन के प्रथम चरण में प्रदेश के 2 जनजाति बहुल ज़िले झाबुआ और अलीराजपुर में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
- गौरतलब है कि बीटा थैलिसीमिया एक गंभीर आनुवंशिक रक्त जनित रोग है, जिसे कुली एनीमिया भी कहा जाता है। इसके कारण शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुँचना कम हो जाता है। इसका सबसे अधिक खतरा कम आयु के शिशुओं को है।
- इसकी उत्पत्ति मानव जीन में असामान्यता से होती है। यदि नवजात शिशु के माता-पिता में से कोई भी थैलिसीमिया से ग्रसित है, तो शिशु में भी यह रोग होने की 25 प्रतिशत संभावना होती है। यदि माता-पिता दोनों इस रोग से ग्रसित हैं, तो शिशु में इसकी संभावना 50 प्रतिशत तक होती है। सही समय पर जाँच एवं उपचार से मरीज को बचाया जा सकता है।

राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रदेश की युवा नीति एवं युवाओं से जुड़े मामलों में सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिषद में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और अध्यक्ष म.प्र. युवा आयोग को पदेन उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण परिषद के सदस्य सचिव होंगे।
- परिषद के सदस्यों में सर्वश्री मेघदीप बोस, अनुभव दुबे, सूर्यपाल सिंह, प्रतीक संचेती, डॉ. सचिव शर्मा, सोनू गोलकर, कार्तिक सप्रे, श्रीमती अदिति झांवर, डॉ. तेजल शाह पारूलकर, विनायक लोहानी, सुश्री हिमाद्री सिंह, आशुतोष सिंह ठाकुर और गजेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं।
- अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य राज्य युवा सलाहकार परिषद में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

नोट :